(वाद सं0–2957/4/24/2021)

26.07.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, संजीव पासवान (सामाजिक कार्यकर्त्ता) एवं अन्य ग्रामीणगण की ओर से दाखिल परिवाद–पत्र जो मो0 शमीम, मो0 अब्दुल रकीब एवं मो0 नय्यर पिता–अब्दुल गणी के विरूद्ध सरकारी गैरमजरूआ भूमि को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर जाली दस्तावेज के आधार खरीद–बिक्री कर मोटी रकम वसूली कर सरकारी संपत्ति को हड़पने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में अंचलाधिकारी, अस्थावाँ, नालन्दा (बिहार शरीफ) से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

राज्य आयोग के निर्देश के अनुपालन में अंचलाधिकारी, अस्थावाँ, नालन्दा (बिहार शरीफ) ने अपने प्रतिवेदन के साथ संबंधित राजस्व कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के स्थानिक जांच–प्रतिवेदन अनुलग्नित कर प्रतिवेदित किया गया है कि जांच के कम में मो0 शमीम, मो0 अब्दुल रकीब एवं मो0 नय्यर पिता–अब्दुल गणी सभी साकिन–जाना, थाना संख्या–263 के द्वारा निम्नांकित गैरमजरूआ आम भूमि की बिक्री किये जाने की बात प्रकाश में आयी है :–

मौजा–जाना	खाता सं0	खेसरा सं0–	किस्म भूमि
थाना सं0–263	1158	1739	गैरमजरूआ आम
	1158	1780	गैरमजरूआ आम
	1158	1738	गैरमजरूआ आम

प्रतिवेदनानुसार परिवादी, संजीव पासवान (सामाजिक कार्यकर्त्ता) एवं अन्य ग्रामीणगण की ओर से मो0 शमीम, मो0 अब्दुल रकीब एवं मो0 नय्यर पिता–अब्दुल गणी सभी साकिन–जाना के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को सत्य पाया गया है।

प्रसंगाधीन मामला, सरकारी गैरमजरूआ भूमि के संरक्षण से संबंधित है जिसे तथाकथित मो0 शमीम, मो0 अब्दुल रकीब एवं मो0

नय्यर पिता–अब्दुल गणी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर जाली दस्तावेज के आधार पर खरीद–बिक्री कर सरकार के राजस्व का लूट किया गया है जिसे जांच के क्रम में सत्य पाया जा चुका है। मामला काफी गंभीर प्रकृति का है।

कार्यालय, आज पारित आदेश व दिनांक–15.06.2021 के आदेश के साथ परिवादी के परिवाद–पत्र (पृ0–03–01/प0) तथा अंचलाधिकारी, अस्थावाँ, नालन्दा का प्रतिवेदन (पृ0–6–5/प0) की प्रति संलग्न कर पत्र निर्गत कर (ई–मेल/फैक्स के माध्यम से भी) जिला पदाधिकारी, नालन्दा के माध्यम से भेजते हुए **अंचलाधिकारी, अस्थावाँ को निर्देशित किया जाय कि सरकारी गैरमजरूआ भूमि का अनाधिकृत रूप से बिक्री कर सरकारी राजस्व की, की गयी लूट के लिए तथाकथित मो0 शमीम, मो0 अब्दुल रकीब एवं मो0 नय्यर पिता–अब्दुल गणी सभी साकिन–जाना के विरूद्ध सरकारी राशि की वसूली हेतु विधिनुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने के साथ ही अंचल कार्यालय में संधारित पंजी–2 (Register-2) में उनके तथा उनके वंशावली के सदस्यों के नाम से कायम सरकारी गैरमजरूआ भूमि की जमाबंदी को रद्द कर सरकारी भूमि की संरक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई कर दिनांक–02.09.2021 के पूर्व तक अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।**

अंचलाधिकारी, अस्थावाँ को भेजे जानेवाले पत्र की प्रति सभी अनुलग्नकों सहित **जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहार शरीफ) एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय तथा उसकी एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।**

संचिका दिनांक–06.09.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक